न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पुष्कर　　　　　　बनाम　　　　　　विपक्षी : श्री चतरभुज व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम　　　　　　पत्रावली संख्या : 49/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 28.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री रामसिंह रावत द्वारा वकालत पत्र पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नही जताई। अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार खटिक द्वारा विपक्षी संख्या 4 की तरफ से वकालत पत्र पेश किया गया तथा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। वकालत पत्र शामिल फाईल रहें। विपक्षी संख्या 1, 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3, 4 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सारंगपुरा (भीण्डर) पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 44 की आराजी न. 478, 479 किता 2 रकबा 1.5000 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:02:00 IST
Reason: SelfAttested